A- 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

अपील संख्या 166 / 2020

संजय कुमार पुत्र नारायणराम, जाति मेघवाल, निवासी कैरू, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

– अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं झुंझुनूं।

– रेस्पोडेंट

– – –

अपील विरूद्व निर्णय विभागीय प्रकरण संख्या 184 / 2019 उनवानी रसद विभाग बनाम संजय कुमार निर्णय दिनांक 20.12.2019

– – –

उपस्थित : –

1. श्री कायम सिंह शेखावत, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्रीमती रामावतार, विभागीय पैरोकार – रेस्पोडेंट की ओर से ।

आदेश

दिनांकः– 04.11.2020

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 10.10.2017 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि विभाग द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 25.11.2019 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने बाबत नोटिस देना बताया गया है परन्तु अपीलान्ट को इस तरह का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। इसके पश्चात् बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये ही अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय कर दिया गया। दिनांक 08.11.2019 को वाहन सं0 आर0जे0 23 जी0ए0 4900 का चालक मूलचन्द चालान नं0 CHAW0000 / 2509399 करीब सूबह 6 बजे गेहूं लेकर पहुंचा तथा अपीलान्ट से उक्त वाहन का राशन उतरवाने के लिए कहा, तब अपीलान्ट ने चालक को बताया कि अभी तो पिछले स्टॉक का ही वितरण पूर्ण नही हुआ है क्योंकि पिछले राशन वितरण मे ही लगभग एक सप्ताह का समय बाकी है। इस पर वाहन चालक आग बबूला हो गया तथा अपीलान्ट से गाली गलौज करने लग गया इस पर अपीलान्ट ने क्रय विक्रय सहकारी समिति फोन करके पूछा तब उन्होने कहा कि वाहन को सोसायटी कैरू मे खाली करवालो तब अपीलान्ट ने उक्त वाहन को सोसायटी कैरू मे खाली करवा लिया तथा चालक से खाली गाडी का तौल करवाने को कहा तब चालक ने वजन करवाने से मना कर दिया

जिला कलक्टर झुन्झुनूं